2020/00427

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री गोपीराम अग्रवाल
निवासी R.T.I.रिसर्च सेन्टर
बांसवाड़ा।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 64 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.10.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 09.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल में आये प्रत्येक आवेदन के रजिस्ट्रेशन का क्रमांक दिनांक व प्रत्येक आवेदन पर सेल के अन्तिम निर्णय की प्रति एवं विचाराधीन आवेदन की नोटशीट की प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 09.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल में आये प्रत्येक आवेदन के रजिस्ट्रेशन का क्रमांक दिनांक व प्रत्येक आवेदन पर सेल के अन्तिम निर्णय की प्रति एवं विचाराधीन आवेदन की नोटशीट की प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्र. 224 दिनांक 19.09.2020 के द्वारा अपीलांट को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 16:54:37 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner